



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - दीपक सिंह खटाना (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या-118/2019

1-इशाकअली पुत्र श्री राजू जाति तेली मुसलमान निवासी कुरैधा 2-साविरअली पुत्र श्री राजू जाति तेली मुसलमान निवासी कुरैधा 3-जाविरअली पुत्र श्री राजू जाति तेली मुसलमान निवासी कुरैधा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1-सिकन्दर पुत्र श्री मोहम्मद 2-बकील पुत्र श्री मोहम्मद 3- राजुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद 4-रिकू पुत्र श्री निजाम 5-सिंकू पुत्र श्री निजाम 6-पिंकू पुत्र श्री निजाम 7-गुलफान अली पुत्र श्री निजाम 8-आमिर पुत्र श्री निजाम 9-इब्राहिम पुत्र श्री साबू 10-भोलू पुत्र श्री इलाईवक्स 11-बौना पुत्र श्री इलाईवक्स 12-अलाउद्दीन पुत्र श्री इलाईवक्स 13-शमशेर पुत्र श्री इलाईवक्स जातिगण मुसलमान निवासीगण कुरैधा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

14-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति - 1- श्री हजरत खां एडवोकेट..... (वादीगण)

2- श्री गिरीश व्यास एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या-4 लगायत 8)

निर्णय

दिनांक 22.09.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1009/235 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम कुरैधा, आराजी खसरा नम्बर 1012/235 रकवा 4 बीघा वाके ग्राम कुरैधा तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 11.05.2022 को दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2021/462 दिनांक 05.07.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादीगण एवं प्रतिवादीगण अभिभाषकगण को विभाजन सुना गया तथा विद्वान वादीगण एवं प्रतिवादीगण अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्राबली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार


उपस्थित अधिकारी
सैपऊ



द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बाबत प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम कुरैधा तहसील सैपऊ के बाबत पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-इशाकअली, जाविरअली, साविरअली पुत्रान राजू हि0ब0 जाति तेली मुसलमान सा0 देह खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---------|------------|--------|
| 1. | 1009/235/1 | 0.1265 |
| 2. | 1012/235/1 | 0.5817 |

योग किता- 2 रकवा-0.7082 हैक्टेयर

2-राजुददीन, वकील, सिकन्दर पुत्रान मोहम्मद हि0ब0 जाति तेली मुसलमान सा0 देह खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---------|------------|--------|
| 1. | 1009/235/2 | 0.0379 |

योग किता- 1 रकवा-0.0379 हैक्टेयर

अलाउद्दीन, बौना, भोलू पुत्रान इलाईवक्स हि0ब0 5/34 शमशेर पुत्र इलाईवक्स हि0/68 आमिर गुलफान अली पिकू, रिकू, सिंकू पुत्रान निजाम हि0ब0 11/34 इब्राहिम पुत्र साबू हि0 5/68 राजुददीन, वकील, सिकन्दर पुत्रान मोहम्मद हि0ब0 7/17 जाति तेली मुसलमान सा0 देह खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---------|------------|--------|
| 1. | 1012/235/2 | 0.4299 |

योग किता- 1 रकवा-0.4299 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22.9.22
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ



राजस्थान-सरकार

डिगरी व मुकदमे ईक्टदाई

अज अदालत - उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास - दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-118/2019

1-इशाकअली पुत्र श्री राजू जाति तेली मुसलमान निवासी कुरैधा 2-साविरअली पुत्र श्री राजू जाति तेली मुसलमान निवासी कुरैधा 3-जाविरअली पुत्र श्री राजू जाति तेली मुसलमान निवासी कुरैधा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1-सिकन्दर पुत्र श्री मोहम्मद 2-बकील पुत्र श्री मोहम्मद 3- राजुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद
4-रिंकू पुत्र श्री निजाम 5-सिंकू पुत्र श्री निजाम 6-पिंकू पुत्र श्री निजाम 7-गुलफान अली
पुत्र श्री निजाम 8-आमिर पुत्र श्री निजाम 9-इब्राहिम पुत्र श्री साबू 10-भोलू पुत्र श्री
इलाईवक्स 11-बौना पुत्र श्री इलाईवक्स 12-अलाउद्दीन पुत्र श्री इलाईवक्स 13-शमशेर पुत्र
श्री इलाईवक्स जातिगण मुसलमान निवासीगण कुरैधा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

14-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ दीपक सिंह खटाना (आर.ए.एस.) व
हाराजी मिनजानिव मुद्दई श्री हजरत खां एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीश
व्यास (प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8) एडवोकेट को पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी
दी जाती है एवं दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा
आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम कुरैधा पटवार हल्का कुरैधा तहसील सैपऊ के बावत्
पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-इशाकअली, जाविरअली, साविरअली पुत्रान राजू हि0ब0 जाति तेली मुसलमान सा0 देह
खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---------|------------|--------|
| 1. | 1009/235/1 | 0.1265 |
| 2. | 1012/235/1 | 0.5817 |

योग किता- 2 रकवा-0.7082 हैक्टेयर

2-राजुद्दीन, वकील, सिकन्दर पुत्रान मोहम्मद हि0ब0 जाति तेली मुसलमान सा0 देह
खातेदार।

उपस्थित अधिकारी

सैपऊ

ख0नं0
1009 / 235 / 2

रकवा
0.0379

योग

किता- 1

रकवा-0.0379 हैक्टेयर

3- अलाउद्दीन, बौना, भोलू पुत्रान इलाईवक्स हि0ब0 5/34 शमशेर पुत्र इलाईवक्स हि0 3/68 आमिर गुलफान अली पिकू, रिंकू, सिंकू पुत्रान निजाम हि0ब0 11/34 इब्राहिम पुत्र साबू हि0 5/68 राजुद्दीन, वकील, सिकन्दर पुत्रान मोहम्मद हि0ब0 7/17 जाति तेली मुसलमान सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0

ख0नं0

रकवा

1.

1012 / 235 / 2


0.4299

योग

किता- 1

रकवा-0.4299 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। वशब्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.09.2022 को जारी की गई।



(दीपक सिंह खटाना)

उप जिला कलक्टर

उप जिला न्यायाधीश
जलंधर